-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **"ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय 03 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 14 किलो 774 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा 03 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 03/04.06.2026 की रात्रि में थाना मटौंध पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान भूरागढ़ तिराहे के पास 03 व्यक्ति संदिग्ध रुप पीठ पर बैग लिए दिखाई दिए और पुलिस को देखकर दूसरी तरफ जाने लगे। शक होने पर पुलिस द्वारा तत्काल घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया और पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उनके बैग से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे सभी मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले है तथा यह अवैध सूखा गांजा मध्य प्रदेश से यहां एक अज्ञात व्यक्ति को बेचने के लिए लाए थे। पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लिया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 14 किलो 744 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय पुत्र केशव निवासी भैनीयान का पुरा नरहेला थाना जौरा जनपद मुरैना (म0प्र0)।
2. विजय पुत्र बनवारी लाल निवासी निवासी भैनीयान का पुरा नरहेला थाना जौरा जनपद मुरैना (म0प्र0)।
3. वीर पुत्र रोशन लाल निवासी गोपाल का पूरा थाना सबलगढ़ जनपद मुरैना (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 105/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री आनंद कुमार साहू चौकी प्रभारी भूरागढ़
2. कां0 अनुज यादव
3. कां0 मंगल सिंह
4. रि0का0 दिनेश यादव